न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 56 / 2016 (बांसवाड़ा डिक्री)

गोतम पिता पुनिया, जाति भील, निवासी कोहाला, पटवार हल्का कोहाला, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. हीरा पिता गोतम, जाति भील, निवासी कोहाला, पटवार हल्का कोहाला, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा
दिनांक 15.07.2016 प्र.सं. 31 / 2012

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री मुकेश द्विवेदी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक रेस्पो.सं. 1
3– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

———::———

निर्णय **दिनांक 26–07–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में मूलवाद संख्या 31 / 2012 वादी / अपीलान्ट व उसकी पत्नी काली द्वारा सरकार के विरूद्ध धारा 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 158 / 1 रकबा 7 बीघा ग्राम कोहाला में स्थित है, जो उसके पुत्र हीरा के नाम आवंटित होकर तहसीलदार द्वारा उसके पुत्र के नाम सनद जारी की गयी। वादीगण उक्त भूमि पर अपने पुत्र के साथ काबिज होकर काश्त करने लगे, परन्तु उसके पुत्र की अकाल मृत्यु हो गयी, परन्तु उसके पुत्र हीरा के स्थान पर वादीगण

के नाम नामान्तरकरण नहीं खोला गया, जबकि हीरा लाऔलाद फोत हुआ तथा वादीगण ही उक्त भूमि के एक मात्र खातेदार कृषक हैं। अतएवं उक्त भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25–06–2015 को पत्रावली लोक अदालत में रखकर मजमे आम में सुना गया। मजमे आम में पत्रावली पेश होने पर मौके पर उपस्थित मौतविरान से जानकारी करने पर ज्ञात आया कि गौतम पिता पुनिया के पुत्र हीरा पिता गौतम के नाम आराजी नंबर 158/1 रकबा 7 बीघा भूमि आवंटित होकर खातेदारी हक से दर्ज हुई। हीरा के लाऔलाद फोत होने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया उनके नाम दर्ज भूमि माता के नाम दर्ज होनी थी। वर्तमान में उक्त वाद की वादिया मृतक हीरा की माता फोत हो चुकी है। द्वितीय दृष्टया मूल खातेदार के लाऔलाद फोत होने से उसकी खातेदारी भूमि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार, उसके पिता गौतम, हीरा के भाई धूला, कालू व अन्य भाई रूपेंग के फोत हो जाने से उसके वारिस पत्नी विठली रूपेंग के पुत्र कमा, पुत्री शीला एवं हीरा की बहन राधा, हन्ता व गौतम के भाई विठला एवं गौतम की बहन भूरी के नाम दर्ज करने की डिक्री जारी की गयी।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के बाद पुनः अधिनस्थ न्यायालय में हीरा पिता गोतम द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने व उसे सुनवाई का समुतिच अवसर दिये जाने व प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही होने से निर्णय को सेट–एसाईड करने का प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रकरण पुनः दर्ज कर पक्षकारान के नाम सम्मन जारी किये गये तथा आगामी तिथि दिनांक 31–08–2015 मुकर्रर की गयी। दिनांक 31–08–2015 को प्रकरण में आवेदक हीरा द्वारा आदेश 9 नियम 13 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु समय चाहा, जिस पर समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 14–09–2015 को तय की गयी तथा उक्त पत्रावली में आवेदक को जवाब दिये जाने के लिए पत्रावली में जवाब वादी द्वारा दिनांक 11–04–2016 को पेश किया गया तथा पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र के लिए दिनांक 12–05–2016 तय की गयी। इसके बाद पुनः दिनांक 15–07–2016 तय की गयी, जिस दिन प्रकरण लोक अदालत में रखा जाकर आवेदक हीरा की उपस्थिति में तथा उसे सुनकर उसके द्वारा पेश शुदा साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करते हुए आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का आवेदन स्वीकार कर

प्रार्थी हीरा पिता गोतम को जीवित मानते हुए अपीलान्ट/वादी के पक्ष में जारी डिक्री को अपास्त करते हुए 2000/– रूपये अर्द्धदण्ड का आदेश पारित किया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 15–07–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 14–09–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ओर से वकील श्री यशपाल गुप्ता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिये गये कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 25–06–2015 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं। प्रार्थी हीरा द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा.दी. पेश किया गया, जबकि वह अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने से उसे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं था। यदि उसका कोई हित निहित है तो उसे अलग से वाद प्रस्तुत करना चाहिए था। प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय डिक्री जारी की गयी है। अपीलान्ट के पुत्र हीरा के लाऔलाद फोत होने की जानकारी गांव वालों को भी है। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना तथा उसकी अनुपस्थिति में एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। रेस्पोन्डेन्ट हीरा जब अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार ही नहीं था तो उसे आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी

अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नहीं कर एकतरफा निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के रेकार्ड एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रकरण में आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का आवेदन रेस्पोन्डेन्ट हीरा द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिस पर बहस के लिए पत्रावली मुकर्रर थी। अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलान्ट लोक अदालत में उपस्थित नहीं थे तो फिर सिर्फ रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी को सुनकर आदेश 9 नियम 13 जा.दी. के आवेदन का निर्णय कर दिया है, जबकि प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट मूलवाद में पक्षकार ही नहीं थे। यदि अधिनस्थ न्यायालय को आदेश 9 नियम 13 जा.दी. के निर्णय करना ही था तो ऐसी स्थिति में अपीलान्ट/वादी को सुनकर पहले आदेश 9 नियम 13 जा.दी. के आवेदक पर निर्णय किया जाकर उक्त निर्णय की अनुपालना में प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट को प्रतिवादी संस्थित कर उभयपक्षों को सुनकर निर्णय पारित करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 9 नियम 13 के प्रावधानों पर अपीलान्ट को सुने बिना निर्णय पारित किया है, जो प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15–07–2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पहले आदेश 9 नियम 13 जा.दी. के आवेदन पर उभयपक्षों को सुनकर निर्णय पारित करें एवं तद्नुसार प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट को यदि पक्षकार बनाया जाना उचित पाया जाये तो उसे प्रतिवादी पक्षकार संस्थित करें एवं ततश्चात् मूलवाद के प्रकरण में उभयपक्षों को सुनकर विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए निर्णय पारित करें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26–07–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास ....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** ....

श्रीमती संतोष पत्नी रमेशजी कटारा भील, नि0 खान्दु कॉलोनी, बांसवाड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

बनाम

गेबा पिता श्री वेस्ता मईड़ा भील निवासी कालिकामाता, बांसवाड़ा तह. व जिला बांसवाड़ा व अन्य

अपील नं...........**24/2012**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........
...........**बांसवाड़ा**......... मुकाम................मुवर्खे..........**21**..................माह...............**03**.........**2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**22**....माह........**03**.......सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान**...
व हाजरी...**श्री हीरालाल जैन** ....मिनजानिब अपीलान्ट व ...... **श्री राजकुमार जैन**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–03–2012 अपास्त की जाती है तथा अपीलान्ट/वादिया को मौजा लोधा की वादग्रस्त आराजी नंबर 658/448 रकबा 2 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि में वादिया के कब्जे काश्त में बेजा दखलन्दाजी नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा से हस्ब उपलब्ध साक्ष्य पाबन्द किया जाता है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**22**......माह.......**03**...........**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।